

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर

३२२१ प्रकरण क्रमांक 1/15 निगरानी सुप्रीम कोर्ट - 9075-8008-14

अजबनूर मृत बजाए वारिसान आदि ...
निवासी ग्राम जांडना न.ए. वडनगर (मि.उज्जैन)
आवेदकगण

विरुद्ध

मासूम बाई आदि अनावेदकगण
ग्राम खेतडिया न.ए. लांकेर (मि.उज्जैन)

न्यायालय के अधिकारी
प्रकार का प्रकरण
दिनांक
शुक्रवार दिनांक

श्री ~~मासूम बाई~~ मार्शना पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म.प्र.भू.राजस्व संहिता ।
नया आदेश दि. 18-5-16 को
प्रस्तुत

~~मासूम बाई~~ माननीय महोदय,
न्यायालय के अधिकारी

आवेदकगण ने उपरोक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 83/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2014 के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 9075-पीबीआर/16

जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-6-2016	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-12-2015, जिसके द्वारा निगरानी अदम पैरवी में खारिज की गई है, के विरुद्ध रेस्टोरेशन आवेदन पत्र दिनांक 18-5-2016 को लगभग 5 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस संबंध में 1996 आरएन 257 जिला पंजीयक सहकारी बैंक मार्यादित विरुद्ध काशीप्रसाद गुप्ता में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :-</p> <p><i>“धारा 5 - विलम्ब की माफी के लिये आवेदन तथा शपथपत्र फाईल नहीं किया गया - 5 दिन का विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है ।”</i></p> <p>अतःउपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह रेस्टोरेशन आवेदन पत्र अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जाता है।</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> अध्यक्ष</p>